रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 1985/माघ 2, 1906
No. 9] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 1985/MAGHA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1985

आ०अ० 46(अ).—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 12 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उस अवधि को जिसके अन्दर जम्मू और कश्मीर राज्य में 4-लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर, सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये कोई दावा या उसमें की किसी प्रविष्टि पर कोई आक्षेप दाखिल किया जा सकेगा, तारीख 21 फरवरी 1985 (बृहस्पतिवार), जिसमें यह तारीख शामिल है, तक और आगे बढ़ाता है ।

[सं० 23/ज०क०/85]
आदेश से,
आर० पी० भल्ला, सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 1985

O.N. 46(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 12 of the Registration of the Electors Rules, 1960, the Election Commission hereby extends upto and including 21st February, 1985 (Thursday) as the period within which a claim for the inclusion of a name or an objection to an entry in the electoral rolls of all the parliamentary constituencies, excluding 4-Ladakh Parliamentary Constituency, in the State of Jammu & Kashmir, shall be lodged.

[No. 23/J&K/85]

By order,

R.P. BHALLA, Secy., the Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985